भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3540

22 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

कच्चे इस्पात की निर्माण क्षमता

3540. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश की वार्षिक कच्चे इस्पात बनाने की क्षमता को वर्तमान के 150 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2023-24 के लिए सेल, एनएमडीसी, केआईओसीएल के लिए बजट आवंटन में कमी की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का देश की इस्पात खपत दर को वर्तमान (-1.9) से बढ़ाकर शून्य घाटे वाली खपत करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) और (घ): राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 का उद्देश्य इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करके इस्पात उत्पादन के लिए एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। एनएसपी का लक्ष्य स्वदेशी खपत को वर्ष 2030 तक 160 किलोग्राम तक बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 300 एमटी की इस्पात उत्पादन क्षमता प्राप्त करना, उच्च गुणवत्तापूर्ण इस्पात का उत्पादन करना तथा इस क्षेत्र को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस संबंध में सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) की स्थापना, जो नए निवेशों को सुकर बनाने के लिए परियोजनाओं की पहचान, परियोजनाओं की चरणबद्धता का मूल्यांकन और इनके क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करता है।

ii. देश में विशेष इस्पात के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना।

iii. हाल ही में, दुबई में आयोजित वर्ल्ड एक्स्पो जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी, भारत में इस्पात क्षेत्र की विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए मंत्रालयीन प्रतिनिधिमंडल की जापान, कोरिया, रूस में स्वदेशी इस्पात उपभोक्ताओं के साथ चर्चा तथा भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेश के अवसरों के साथ-साथ व्यापारिक क्षमता को प्रदर्शित करना।

iv. देश के इस्पात क्षेत्र में इस्पात उपयोग, इस्पात की समग्र माँग और निवेश को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित क्षमतावान उपयोक्ताओं को और अधिक शामिल करके मेक इन इंडिया पहल तथा प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।

v. भारतीय इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कुछ इस्पात उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्क (एडीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जैसे कारोबारी सुधारात्मक उपायों के अंशांकन के साथ इस्पात उत्पादों तथा कच्चे माल पर आधारभूत सीमा शुल्क में समायोजन।

(ख) और (ग): वित्त वर्ष 2023-24 में सेल, एनएमडीसी तथा केआईओसीएल के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा कोई बजट आवंटन नहीं किया जा रहा है।

****